न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA 192 of 2023 (GCMS 395 of 2023) Foolchand Vs Narayanram etc

फूलचन्द पुत्र श्री नाथाराम, जाति खारड़िया सीरवी,
निवासी- बेरा लखावतों का पोल वाला बिलाड़ा,
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राजस्थान।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. नारायणराम पुत्र श्री रूपाराम
2. भंवरलाल पुत्र श्री दानाराम
3. रतनलाल पुत्र श्री रूपाराम
4. लादूराम पुत्र श्री दानाराम
5. नाथी देवी पत्नी स्व. श्री रूपाराम
   सभी जातियान् खारड़िया सीरवी,
   निवासी- बेरा लखावतों का पोल वाला बिलाड़ा,
   तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2021 स्व. जयराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम नारायणराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री अशोक पटेल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से पांच
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 15 जनवरी 2024

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2021 स्व. जयराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम नारायणराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 10 अप्रैल 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का बिलाडा के चक संख्या 4 के खाता संख्या 1228 की भूमि खसरा नं. 2054 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नं. 2055 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नं. 2058 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नं. 2059 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा नं. 2065 रकबा 0.3641 हैक्टेयर, खसरा नं. 2069 रकबा 0.1861 हैक्टेयर, खसरा नं. 2077 रकबा 0.7605 हैक्टेयर, खसरा नं. 2081 रकबा 0.2670 हैक्टेयर, खसरा नं. 2089 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा नं. 2100 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा नं. 2101 रकबा 0.2184 हैक्टेयर कुल रकबा 3.1634 में वादी संख्या एक जयराम का ⅛, वादी संख्या दो नाथी देवी का ⅛, वादी संख्या तीन नारायणराम का ⅛, वादी संख्या चार भंवरलाल का ¼, वादी संख्या पांच रतनलाल का ⅛ व वादी संख्या दः लादूराम का ¼ हिस्सा होना का तथा खाता संख्या 1293 के खसरा नं. 2102 रकबा 0.4530 हैक्टेयर ग्राम बिलाड़ा चक 4 तहसील बिलाड़ा में वादी-पक्ष का ½ हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या एक से आठ का संयुक्त ½ हिस्सा होना जाहिर करते हुए पेश किया। रेस्पोडेंट संख्या एक से छः

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं एवं न ही अपने किसी एजेन्ट से ही किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2023 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों, अपील मीमो एवं अपनी लिखित बहस में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एकपक्षीय पारित की है। अपीलांट का खसरा नं. 2054 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नं. 2055 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नं. 2058 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नं. 2059 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा नं. 2065 रकबा 0.3641 हैक्टेयर, खसरा नं. 2069 रकबा 0.1861 हैक्टेयर, खसरा नं. 2077 रकबा 0.7605 हैक्टेयर, खसरा नं. 2081 रकबा 0.2670 हैक्टेयर, खसरा नं. 2089 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा नं. 2100 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा नं. 2101 रकबा 0.2184 हैक्टेयर की भूमि से कोई लेना-देना नहीं है। अपीलांट खसरा नं. 2102 रकबा 0.4530 हैक्टेयर की भूमि में पश्चिमी दिशा में काबिज है तथा पश्चिमी तरफ अपीलांट का ½ हिस्सा आता है, जिसे अपीलांट के पूर्वजों द्वारा उबड़-खाबड़ को भूमि को सुधार कर काबिल काश्त एवं समतल किया है। अपीलांट पीढियों से उक्त पश्चिमी दिशा की भूमि पर काश्त करता आ रहा है तथा वर्तमान में ज्वार की फसल बोई हुई थी जो ज्वार की फसल को काट कर सौफ की फसल बोई थी। लेकिन हाल ही में दिनांक 20.10.2023 एवं 21.10.2023 की

15-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दरम्यान रात्रि को रेस्पोडेंट ने अपीलांट की बोई हुई सौफ की फसल में खड़ाई कर नष्ट कर दी, जिसका उलाहना अपीलांट ने रेस्पोडेंट को दिया तो रेस्पोडेंट सभी उत्तेजित हो गये। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में है। अगर रेस्पोडेंट को नहीं रोका गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन किया जाना सम्भव नही नहीं होगा। अपीलांट के पूर्वजों द्वारा कोई भी जुबानी बंटवाड़ा नहीं किया गया है, केवल पारिवारिक बंटवाड़ा किया गया है, जिसमें अपीलांट के ½ हिस्से की भूमि पश्चिमी दिशा की तरफ दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने से पूर्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में बिना वादकारण के बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के विधि विरुद्ध अस्थाई स्थगन आदेश अपीलांट के विरुद्ध पारित करने में भारी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई स्थगन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट के दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन ही नहीं किया, और प्रार्थीगण के मूल दावा घोषणा के आधार पर मौके की वास्तविक स्थिति को रिकॉर्ड पर लिये बिना तथा दस्तावेज का अवलोकन किये बिना अस्थाई स्थगन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। कस्बा बिलाड़ा के चक 4 के खसरा नं. 2102 रकबा 0.4530 हैक्टेयर भूमि पूर्ण रूप से विवादित है, जिसके कारण दोनो पक्षों के बीच झगड़ा दिनांक 24.04.2021, दिनांक 04.06.2021, दिनांक 10.11.2021, दिनांक 23.06.2022, दिनांक 04.07.2022, दिनांक 02.12.2022 व दिनांक 21.10.2023 को हुआ, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर एफ.आई.आर संख्या 0198/2021 एवं 0414/2023 दिनांक 28.10.2023 दर्ज हुई, जिसकी जांच विचाराधीन है, जिसमें भयंकर रूप से लाठी भांटा जंग हुआ था, जिस कारण अपीलांट को भारी चोटे आई तथा लाठियों से वार किया गया, जिस कारण

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट का पैर फैक्चर हो गया था, जिसको कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.04.2023 के वाद नकल हेतु आवेदन किया था। बाद राज्य कर्मचारियों की हड़ताल होने एवं बाद में पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने एवं उनके बाद अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त हो जाने पर निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 23.10.2023 कसे जारी की गई। अपीलांट द्वारा नकल प्राप्ति दिनांक से अपील अंदर म्याद पेश की गई है। आर.आर.डी.14.03.2015 पेज 119 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने धारित किया है कि मामले के गुणावगुण पर पर निर्णय करने हेतु क्षेत्राधिकारिता धारण करने हेतु माफ किया जाना अनिवार्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार कर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से पांच ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2102 के पश्चिमी ½ हिस्से पर काबिज काश्त है तथा मौके पर काश्त करते आ रहे है। अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 14. 05.2021 को बलपूर्वक वादग्रस्त आराजी के पश्चिमी ½ हिस्से पर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर बनी तारबंदी एवं माठ को तोड़ने पर उनके विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करवायी गई तथा पश्चिमी हिस्से के विभाजन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रस्तुत कर वाद के विचाराधीन रहते अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा न तो जवाब प्रस्तुत

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया तथा न ही प्रार्थना पत्र के तथ्यों को मय शपथ-पत्र खण्डन किया गया है, बल्कि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की गई। अपीलांट द्वारा केवल रिसीवर नियुक्ति के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुनकर तथा उनकी सहमति से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अदालत हाजा के समक्ष अन्य प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की जाकर केवल अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट्स/वादीगण को हैरान व परेशान करने के उद्धेश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है तथा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र मे संयोजित समस्त पक्षकारान् को हस्तगत अपील में पक्षकार भी संयोजित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पक्षकारान् के कुसंयोजन के आधार पर खारिज योग्य है। वकील रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 के जवाब में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर उभय पक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट्स को आलौच्य आदेश की जानकारी शुरुआत से रही है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि माननीय राजस्व मण्डल ने 2022(1)डी.एन.जे.(रेव.)374 में प्रतिपादित किया है कि एडवोकेट्स की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया होने से विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा तुरन्त ही प्रतिलिपि हेतु नकल पेश कर दिये जाने के उपरान्त भी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से नकल प्राप्त नहीं हाने का कथन मिथ्या है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2023 को ही कार्यालय आदेश जारी कर मन्त्रायलिक कार्मिकों की हड़ताल की वजह से कार्य प्रभावित न हो इसलिए नायब तहसीलदार श्री मोतीलाल चौरोटिया को न्यायालय में अस्थाई रीडर के रूप में नियुक्त कर दिया था। उक्त

15-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवधि में ही रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.05.2023 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया था जो दिनांक 31.05.2023 को नकल प्राप्त हो गई। अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथनों की पुष्टि हेतु ऐसे कोई नकल प्रार्थना पत्र की प्रति पेश नहीं की गई जो विचारण न्यायालय के समक्ष अंदर म्याद पेश किया गया है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि विलम्ब कण्डोन किये जाने हेतु समुचित कारण उपलब्ध होना आवश्यक है, 2010(2)आर.आर.टी.801 के मामले में अपील पेश करने में तीन दिन के विलंब हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विलम्ब कण्डोन किया जाना उचित नहीं माना। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल ने 2020 आर.बी.जे. 221 में स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है कि जब देरी को शमित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, तो विलंब को शमित नहीं किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट किये बिना 7 माह बाद हस्तगत अपील पेश की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से पांच की ओर से राजस्व ग्राम बिलाडा चक 4 स्थित आराजी खसरा संख्या 2102 रकबा 0.4530 हैक्टेयर सहित विभिन्न खसरा नम्बरान की आराजियात बाबत राजस्व वाद मय प्रार्थनापत्र बाबत

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्य खसरा नम्बरान की आराजियात में अप्रार्थीगण का कोई हक-हिस्सा नहीं होना बताया गया और आराजी खसरा संख्या 2102 प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से पांच का ½ हिस्सा होना तथा पक्षकारान के मध्य हुए आपसी बंटवारे अनुसार इस खसरा के पश्चिमी ½ हिस्से पर अपना भौतिक कब्जा जाहिर करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्षकारान की सुनवाई के बाद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अप्रेल 2023 अधिवक्ता-प्रार्थी (रेस्पो. संख्या 1 से 5) श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता-अप्राथीगण संख्या 1 से 8 श्री अशोक पटेल एवं अप्रार्थी संख्या 9 राज्य सरकार की ओर से सरकारी पैरोकार की उपस्थिति में पारित किया गया।

आलौच्य मामले में उपलब्ध अभिलेखानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत 2076-2079 ग्राम बिलाडा के चक संख्या 4 स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2102 रकबा 0.4530 हैक्टेयर में अप्रार्थी-अपीलाण्ट फूलचंद का 1/16 हिस्सा ही दर्ज है, प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से पांच कमशः नारायणराम पुत्र श्री रूपाराम का 1/12 हिस्सा, भंवरलाल पुत्र श्री दानाराम का 1/8 हिस्सा, रतनलाल पुत्र श्री रूपाराम का 1/12 हिस्सा, लादूराम पुत्र श्री दानाराम का 1/8 हिस्सा व नाथी देवी पत्नी रूपाराम का कमशः 1/12 हिस्सा दर्ज है एवं बकाया हिस्सा मूल प्रार्थनापत्र में संयोजित पक्षकारान अर्थात अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 से 8 का दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट-अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आलौच्य अपील में अन्य अप्रार्थीगण (जिनका हिस्सा बतौर सहखातेदारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है) को पक्षकार बनाये बिना तथा अपील मीमो के पद संख्या 3 में अकेले अपीलाण्ट का ही वादग्रस्त खसरा संख्या 2102 के

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आधे हिस्से पर कब्जा जाहिर करते हुए तदनुसार अनुतोष की मांग किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 10.04.2023 के अवलोकन मुताबिक उक्त आदेशिका में हाशिये पर वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वाद के पद संख्या 10 में चाहे अनुतोष अनुसार पी.डी. जारी की जावे तो कोई आपत्ति नहीं होना तथा वकील प्रतिवादी द्वारा पी.डी. जारी की जाये तो कोई आपत्ति नहीं अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर कर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने में अपनी सहमति प्रदान किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद स्वीकार करते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10 अप्रेल 2023 पारित किये गये।

उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविपधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में नजर नहीं आते है। विधि के सर्वमान्य सिद्धान्त के अनुसार अस्थायी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना अथवा जारी नहीं किया जाना विचारण न्यायालय का स्वविवेकीय अधिकार है जिसमें सामान्यतः अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मूल प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा राज्य सरकार सहित कुल 9 अप्रार्थीगण के खिलाफ विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, किन्तु आलौच्य अपील में अपीलांट द्वारा प्रार्थनापत्र में संयोजित समस्त पक्षकारान (अप्रार्थीगण संख्या एक व तीन से आठ) को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। पत्रावली पर उक्त अप्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में हक-हिस्सा दर्ज है जिन्हें न तो अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील में पक्षकार संयोजित किया गया है और न ही उनके द्वारा अन्य कोई अपील या चाराजोई किया जाना प्रकट है।

15-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ऐसी स्थिति में 2018 आर.बी.जे. 2018 पेज 505 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 20 के अनुसार उक्त अप्रार्थीगण भी हितबद्ध पक्षकार है जिन्हें आलौच्य अपील में पक्षकार संयोजित किया जाना अनिवार्य पाया जाता है। अपीलाण्ट द्वारा इन प्रतिवादीगण को पक्षकार संयोजित किये बिना ही प्रस्तुत आलौच्य अपील nonjoinder of parties के दोष से ग्रसित होने के कारण खारिज योग्य पायी जाती है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में अधिवकता-अपीलाण्ट का कथन है कि आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित होने के पश्चात कर्मचारियों की हड़ताल, पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण एवं चुनाव के कारण अपीलांट का नकल प्राप्त नहीं हो सकी। किन्तु इस संबंध में वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2023 की प्रति एवं उनके द्वारा विचारण न्यायालय से प्राप्त प्रतिलिपि की प्रति मुताबिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण न्याय कार्य के सुगम संचालन हेतु विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई रीडर की नियुक्ति किया जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की सत्यापित प्रति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किसी नकल प्रार्थना की प्रति पेश नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की सत्यापित प्रति हेतु कब आवेदन किया गया और कब उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की सत्यापित प्रतियॉ प्राप्त हुई। अपील के साथ अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की जो नकलें पेश की गयी है, उनके अवलोकन से विचारण न्यायालय में नकलों हेतु दिनांक 19 अक्तूबर 2023 को आवेदन किया जाना तथा दिनांक 23 अक्तूबर 2023 को नकलें जारी किया जाना प्रकट होता है, मगर अपीलाण्ट द्वारा अवधि के पूर्व एवं पश्चात के विलम्ब बाबत कोई ठोस संतोषजनक एवं

15-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विश्वसनीय कारण प्रकट नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में वाद में निरंतर पैरवी किये जाने से आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरू से रही है। ऐसी स्थिति में म्याद के संबंध में 2022(1) डी.एन.जे.(रेव.) 374, 2010(2) आर.आर.टी. 801 एवं 2020 आर.बी.जे. 221 में धारित मत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया लागू होते हैं।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2021 स्व. जयराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम नारायणराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 10 अप्रैल 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर